

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1149/2017/

दिनांक :

आदेश

श्री भंवर सिंह झाला, लेब टेक्नीशियन अधीन अधीक्षक, राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड जिनकी जन्म तिथि 14.07.1958 है को उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.06.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.06.2017 इनका अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भंवर सिंह झाला के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-60-

(रामनिवास जाट)
अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1149/2017/ 267

दिनांक:- 10.4.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।
4. श्री भंवर सिंह झाला, लेब टेक्नीशियन को सूचनार्थ।
5. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।


अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर